MoES/PACER/AntarcticAct/4/2023PC-1-Part(1)
Government of India
Ministry of Earth Sciences

Prithvi Bhawan, Lodhi Road
Dated, the 24 September, 2025

VACANCY CIRCULAR

Subject: Engagement of 01 Project Scientist-III and 02 Consultants on contractual basis to work in "Antarctic Cell" of Ministry of Earth Sciences – regarding.

The Ministry of Earth Sciences invites applications from Indian Nationals for the following positions in the Antarctic Cell of Ministry of Earth Sciences. Officials who retired from Central Government from the posts equivalent to Under Secretary or Deputy Secretary (Pay-level 11 or 12 as per 7th CPC) are also eligible to apply for the posts of Consultant.

1. **Designation: Environmental Consultant**
   No. of Posts: One

Essential Qualification

a. Applicant should have a Master's degree in environmental science/ management or a Bachelor's Degree in Environmental Engineering or Technology from a recognized University or its equivalent.
b. Applicant should have at least seven years' experience in dealing with environmental impact assessment/ monitoring/ management and or in the field given in the job description.

Desirable:

a. PhD in Environmental Science/ Management or equivalent.
b. Knowledge of the Antarctic Treaty System, Environmental Protocol and Commission for Conservation of Antarctic Marine Living Resources
c. Applicant may be skilled in Computer (MS Word, Excel and PPT)

Job Responsibilities:

The engaged Environmental Consultant (EC) would be required to support the Committee on Antarctic Governance and Environmental Protection (CAG-EP) established under the Indian Antarctic Act, 2022 and perform the following functions:

a. To advise and assist the CAG-EP on the Antarctic Treaty, Protocol on Environmental Protection to the Antarctic Treaty and Convention on Conservation of Antarctic Marine Living Resources and its provisions on environmental aspects.
b. Implementation of the Indian Antarctic Act, 2022 (IAA, 2022) and the Indian Antarctic Environmental Protection Rules, 2023 (IAEPR, 2023) to the Indian Expedition to

24/09/25

Antarctica about environmental aspects.

c. To review the applications for Permits and post-visit reports according to the Antarctic statute and its various provisions.
d. Preparation of the annual report and other documents as well as management plan as required under the issuance of Permit.
e. Maintaining the Permit related documents.
f. To obtain opinions on environmental matters from the concerned Ministries.

Any other work assigned to them on environmental aspects

2. **Designation: Legal Consultant –Antarctic Governance**
   No. of Posts: One

Essential Qualification

a. Applicant should have a Master's degree in Law.
b. Applicant should have at least seven years' experience in dealing with Acts/Rules/ Regulations/By-Laws and or in the field given in the job description.

Desirable:

a. Applicants should have knowledge of the Antarctic Treaty System, the Indian Antarctic Act, and Environmental Protection Rules and Indian as well as international law.
b. Applicant may be skilled in Computer (MS Word, Excel and PPT)

Job Responsibilities:

The engaged Legal Consultant (LC-AG) would be required to support the Committee on Antarctic Governance and Environmental Protection (CAG-EP) established under the Indian Antarctic Act, 2022 and perform the following functions:

a. To advise and assist the CAG-EP on the Antarctic Treaty, Protocol on Environmental Protection to the Antarctic Treaty, and Convention on Conservation of Antarctic Marine Living Resources and its provisions.
b. Implementation of the Indian Antarctic Act, 2022 (IAA, 2022) and the Indian Antarctic Environmental Protection Rules, 2023 (IAEPR, 2023) to the Indian Expedition to Antarctica about legal aspects.
c. To review the applications for Permits and post-visit reports according to the Antarctic statute and its various provisions.
d. Filing, precedent, and pursuing cases before designated courts on Antarctic matters.
e. Draft petitions, replies, rejoinders, affidavits, and other pleadings.
f. To obtain opinions on legal matters from the Department of Legal Affairs, Ministry of Law and Justice, and other associated Ministries.
g. Analysing the feasibility and methodology of implementation of court verdicts and orders. Any other work assigned to them on legal aspects.

Terms and Conditions for Engagement of Consultants

Period of Engagement:

24/09/25

Tax deduction at Source:

Income Tax or any other tax liable to be deducted, as per the prevailing rules will be deducted at source before effecting the payment of remuneration.

Confidentiality of data and documents:

The Consultant shall not utilize or publish or disclose or part with, to a third party, any data or statistics or proceedings or information gathered during the assignment for the office without the written consent of Ministry of Earth Sciences. The Consultant shall be bound to hand over the entire set of records of assignments to the office before the contract expiry and before the final payment is released by Ministry of Earth Sciences. The Consultant shall sign an agreement of confidentiality with the Ministry of Earth Sciences to this effect, which shall contain a clause on Ethics and Integrity.

Conflict of Interest:

The Consultant shall in no case represent or give opinion or advice to others in any matter which is adverse to the interest of the Ministry, nor will he/ she indulge in any activity outside the terms of the contractual assignment.

Termination of Agreement:

The Ministry may terminate the contract to which these terms apply, if: -

i. The Consultant is unable to address the assigned work.
ii. Quality of the assigned work not to the satisfaction of the Controlling Officer/Competent Authority in the Ministry.
iii. The consultant is found lacking in honesty and integrity.
iv. The Competent Authority in the Ministry may also terminate the contract at any time without giving any notice and also without assigning.

3. **Designation: Project Scientist- III**

i) No. of the Vacancies : 01

ii) Monthly Emoluments : Rs. 78,000/- + HRA + other admissible emoluments (as per MoES / DST guidelines) (Increment of 5% for every 2 years of experience subject to performance review)

iii) Upper Age Limit : Up to 45 years

EDUCATION AND OTHER QUALIFICATIONS

ESSENTIAL

Master's Degree in Environmental Science or Environmental Management or Environmental Chemistry or Environmental Engineering or equivalent with at least 60% marks (first class) in the qualifying degree level or Bachelor's degree in Engineering or Technology in a relevant field from a recognized university with at least 60% marks (first class) in the qualifying degree level.

24/09/25

The Consultant will be engaged purely on a contract basis. The initial engagement as a consultant would be for one year, which may be extended further on an annual basis based on the performance review.

The engagement of the Consultants would be on a full-time basis, and they would not be permitted to take up any other assignment during the consultancy period with this Ministry.

Age Limit:

Not more than 62 years of age on the last date of application.

Remuneration :

i) For the retired candidate- By deducting the basic pension from the last pay drawn + Transport Allowance admissible at the time of retirement as per DoE OM FNo.3/25/2020-E.III.A dated 9th Dec, 2020 but not more than Rs. 80,000/- per month. The amount so fixed shall remain unchanged for the contract term. There will be no annual increment/percentage increase during the contract period.

ii) For others, a fixed monthly amount of ₹ 80,000/- shall be admissible.

Working facilities to be provided:

Only the basic facilities/infrastructure will be provided to the Consultant. No Transport, Telephone/Internet facility at residence, stenographic/clerical support, etc. shall be provided.

Other entitlements for Consultant: (as per DOE OM No. 3/25/2020-E.111-A dated 9th Dec, 2020)

Leave: Paid leave of absence will be allowed at 1.5 days for each completed month of service. Accumulation of leave beyond a calendar year shall not be allowed.

TA/DA:

i. For retired consultants: The Consultants shall be allowed TA/DA on an official tour, if any, as per his/her entitlement at the time of retirement
ii. For Others: TA/DA entitlements for Consultant Grade-1 specified in NITI Aayog's guidelines A-12036/2/2023-Adm.IB dated 07.07.2023.

Transport Allowance (only for retired government officials): An appropriate and fixed amount as Transport Allowance for commuting between the residence and the place of work shall be allowed not exceeding the rate applicable to the appointee at the time of retirement. The amount so fixed shall remain unchanged during the term of engagement.

Working hours:

The Consultant shall have to work as per the working hours of the MoES(HQ) New Delhi. However, depending on the exigency of work, one may be required to come early or sit late to complete the time-bound work or attend office on holidays. No extra remuneration or fee would be payable if work requires late sitting or coming on holidays. The Consultants will be required to mark his attendance.

24/09/25

ESSENTIAL EXPERIENCE

Seven Years' experience of teaching (at graduate or post-graduate level), research and development, administration, planning and supervision in relevant field.

DESIRABLE:

(i) Doctorate Degree in a branch of Science or equivalent related to Environment or Chemistry;
(ii) Experience in environmental impact assessment and monitoring, planning and management;
(iii) Experience of working in polar region.

JOB RESPONSIBILITIES:

i. To assist the CAG-EP on the Antarctic Treaty, Protocol on Environmental protection to the Antarctic Treaty and Convention on Conservation of Antarctic Marine Living Resources and its provisions on environmental aspects.
ii. Implementation of the Indian Antarctic Act, 2022 (IAA, 2022) and the Indian Antarctic Environmental Protection Rules, 2023 (IAEPR, 2023) to the Indian Expedition to Antarctica about environmental aspects.
iii. To review the applications for permits and post-visit reports according to the Antarctic statute and its various provisions
iv. Preparation of the annual report and other documents as well as management plan as required under the issuance of permit.
v. Maintaining the Permit related documents.
vi. To obtain opinions on environmental matters from the concerned Ministries.
vii. Any other work assigned on environmental aspects.

24/09/25

Application Procedure for the posts of Consultants and Project Scientist-III :-

a. The entire application procedure is in physical mode. The duly Completed application in the prescribed format should be submitted/sent by post in the prescribed format to the **Under Secretary (Establishment), Ministry of Earth Sciences, Prithvi Bhawan, Lodhi Road, New Delhi – 110003**
b. Copies of certificates in support of educational qualifications, date of birth, experience, no objection certificates (from present employer, if working), should be enclosed with the application. Production of the original certificates is a must while appearing for interview. Applications submitted without copies of the relevant certificates, signature and passport size photograph will be rejected in the screening process itself. The certificates should be clearly visible and readable.
c. Any discrepancies found in the certificates will attract the disqualification of applications. Non-production of the original certificates will also make the candidate disqualified. The disqualified candidates will not be allowed for interview. Candidates currently working in any other organization need to provide proof of their current employment with a service certificate from the employer / latest pay slip etc. Appointment orders / resumes will not be considered as proof of current employment. In addition the experience certificates should clearly show the date of joining and the date of resignation. In case the screening committee is unable to get the documentary evidence for the number of years of experience claimed by the candidate such periods of experience will be considered as NIL.
d. The candidates presently working in Central Govt./State Govt./ PSUs/ Autonomous Bodies/Universities etc. are required to provide No Objection/cadre clearance from their current employer at the time of interview. The current employer will also certify their Vigilance Clearance and Integrity.
e. Incomplete applications in any respect are liable to be rejected summarily. No representation against such rejection will be entertained.
f. Canvassing in any form will be a disqualification.

The advertisement is also available on the website of Ministry of Earth Sciences i.e. www.moes.gov.in.

Selection Procedure:

The prescribed essential qualifications are minimum requirements and the mere possession of the same does not entitle candidates to be called for an interview. If the number of applications, received in response to the advertisement are large, it will not be convenient or possible to call all candidates for an interview. Hence, Ministry may restrict the number of candidates to be called for interview before the Selection Board to the reasonable limit through the screening process.

The criteria for screening of the applications will be based on candidates qualifying credentials against the essential requirements specified below:

a. Date of birth,
b. Completeness of the application in terms of providing accurate details and submission of the passport size photograph and copies of the marks list, academic and experience certificates, signature,
c. Essential experience,
d. Desirable qualification and experience as specified above
e. Consistent academic performance at one or more levels etc. The candidate's experience certificates should clearly specify whether they possess the

24/09/25

experience/knowledge/skills/technology/software platform requested in the essential/desirable experience requirements against the post. The benchmark for screening the applications will be set by a committee constituted to screen the applications. The final selection of the Screened-in candidates will be based on the candidate's performance before the Selection Board. No correspondence will be entertained with candidates who are not called for interview/selected for appointment.

ANNEXURE-I

Application for engagement as Environmental Consultant and Legal Consultant – Antarctic Governance on a contract basis.

Applying for the post of :

Name	
Mother's/Father's/Husband's Name	
Date of Birth	
Address for Correspondence	
Permanent Address	
Contact No./ Mobile No.	
Email-ID	
Educational/Professional Qualification(s)	
Details of Experience to be attached in proforma appended as"APPENDIX I"	
Post held on retirement (for retired officials)	
Date of retirement and name of the office (for retired officials only) Where the officer was last working. Enclose copy of PPO.	
Special Achievement (if any) along with supporting documents.	
Any other relevant information (use a separate sheet, if necessary)	

The information furnished above is true. I have carefully read the terms and conditions mentioned in Annexure-I and they are acceptable to me. I certify that no disciplinary proceedings are pending against me, as on date.

24/09/25

Date:

Signature of the Applicant

24/09/25

APPENDIX I

Details of experience

Period	Name of Office/ Organization	Post held and Remuneration (Pay Band with Grade Pay/Level of Matrix, if applicable)	Description of duties performed

Name/Signature: ------------------

24/09/25.

ANNEXURE-II

FORMAT OF APPLICATION
(for the post of Project Scientist III)

Affix passport size photograph

1.	Advertisement No.			
2.	Position for which applied			
3.	Name in full (in block letters)			
4.	Father's/Husband's Name			
5.	(a) Date of Birth	Date	Month	Year
	(b) Age on Closing date			
6.	Nationality			
7.	Religion			
8.	Address for correspondence (in block letters with pin code)			
9.	Permanent address (in block letters)			
10.	Educational Qualification (in chronological order from Graduation onwards)			

	Sl. No.	Courses Passed	University/Institution/ Board	Year of Passing	Subject taken	Result with Division/Class

11.	Professional Training:			
	Organisation	Period		Details of Training
		From	To	
12.	Details of research work/experience, if any			

24/09/25

13.	Specialization (with reference to experience desired for the post)	
14.	Any other information you may wish to add [Like list of publications, membership of learned societies, awards and recognition, etc. (in brief)]	
15.	Present employment (Temporary/Guest/etc) if any in brief.	

18. Declaration

I certify that the above information is correct and complete to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed/distorted. If at any time I am found to have concealed/distorted any material/information, my engagement shall be liable to be summarily terminated without notice/compensation.

Place:

(Signature of Candidate)

Date:

MoES/PACER/AntarcticAct/4/2023PC-1-Part(1)
भारत सरकार
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय

पृथ्वी भवन, लोधी रोड
दिनांक: 24 सितम्बर, 2025

रिक्ति परिपत्र

विषय: पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के "अंटार्कटिक प्रकोष्ठ" में कार्य करने के लिए संविदा के आधार पर 01 परियोजना वैज्ञानिक-III एवं 02 परामर्शदाता की नियुक्ति के संबंध में

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंटार्कटिक प्रकोष्ठ में निम्नलिखित पदों के लिए भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित करता है। केंद्र सरकार में अवर सचिव या उप सचिव (7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन स्तर 11 या 12) के समकक्ष पदों से सेवानिवृत्त अधिकारी भी परामर्शदाता के पद के लिए आवेदन करने के पात्र हैं।

1. **पदनाम: पर्यावरणीय परामर्शदाता**
   पदों की संख्या: एक

अनिवार्य योग्यता

क आवेदक के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पर्यावरण विज्ञान/प्रबंधन में परास्नातक डिग्री या पर्यावरणीय अभियांत्रिकी या प्रौद्योगिकी में स्नातक डिग्री या इसके समकक्ष डिग्री होनी चाहिए।
ख आवेदक के पास पर्यावरणीय प्रभाव आकलन/निगरानी/प्रबंधन तथा/या कार्य विवरण में दिए गए क्षेत्र में कम से कम सात वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

वांछनीय:

क पर्यावरण विज्ञान/प्रबंधन में पीएचडी या समकक्ष।
ख अंटार्कटिक संधि प्रणाली, अंटार्कटिक समुद्री जीवन संसाधनों के संरक्षण हेतु पर्यावरणीय अभिसमय एवं आयोग का ज्ञान।
ग आवेदक को कंप्यूटर (एमएस वर्ड, एक्सेल और पीपीटी) में कुशल होना चाहिए।

कार्य उत्तरदायित्व:

नियुक्त किए जाने वाले पर्यावरणीय परामर्शदाता (EC) को भारतीय अंटार्कटिक अधिनियम, 2022 के तहत स्थापित अंटार्कटिक प्रशासन और पर्यावरण संरक्षण समिति (CAG-EP) की सहायता करनी होगी और निम्नलिखित कार्य निष्पादित करने होंगे:

क अंटार्कटिक संधि, अंटार्कटिक संधि के पर्यावरण संरक्षण संबंधी अभिसमय, और अंटार्कटिक समुद्री सजीव संसाधनों के संरक्षण संबंधी अभिसमय तथा पर्यावरणीय पहलुओं पर इसके प्रावधानों पर

CAG-EP को परामर्श देना और सहायता प्रदान करना।

ख पर्यावरणीय पहलुओं के बारे में अंटार्कटिका के लिए भारतीय अभियान संबंधी भारतीय अंटार्कटिक अधिनियम, 2022 (IAA, 2022) और भारतीय अंटार्कटिक पर्यावरण संरक्षण नियम, 2023 (IAEPR, 2023) का कार्यान्वयन।

ग अंटार्कटिका कानून और उसके विभिन्न प्रावधानों के अनुसार परमिट के लिए आवेदनों और यात्रा-पश्चात रिपोर्टों की समीक्षा करना।

घ परमिट जारी करने के तहत अपेक्षित वार्षिक रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों समेत प्रबंधन योजना तैयार करना।

ङ परमिट से संबंधित दस्तावेजों का रखरखाव करना।

च संबंधित मंत्रालयों से पर्यावरण संबंधी मामलों के बारे में विचार प्राप्त करना।

पर्यावरणीय पहलुओं के बारे में उन्हें सौंपा गया कोई अन्य कार्य

2. **पदनाम: विधिक परामर्शदाता – अंटार्कटिक शासन**
   पदों की संख्या: एक

अनिवार्य योग्यता

(क) आवेदक के पास विधि में परास्नातक डिग्री होनी चाहिए।

(ख) आवेदक के पास अधिनियमों/नियमों/विनियमों/उप-नियमों तथा/या कार्य विवरण में दिए गए क्षेत्र में कम से कम सात वर्षों का अनुभव होना चाहिए।

वांछनीय:

क आवेदकों के पास अंटार्कटिक संधि प्रणाली, भारतीय अंटार्कटिक अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण नियमों तथा भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कानून का ज्ञान होना चाहिए।

ख आवेदक को कंप्यूटर (एमएस वर्ड, एक्सेल और पीपीटी) में कुशल होना चाहिए।

कार्य उत्तरदायित्व:

नियुक्त किए जाने वाले विधिक परामर्शदाता (LG-AC) को भारतीय अंटार्कटिक अधिनियम, 2022 के तहत स्थापित अंटार्कटिक प्रशासन और पर्यावरण संरक्षण समिति (CAG-EP) की सहायता करनी होगी और निम्नलिखित कार्य निष्पादित करने होंगे:

क अंटार्कटिक संधि, अंटार्कटिक संधि के पर्यावरण संरक्षण संबंधी प्रॉटोकॉल, और अंटार्कटिक समुद्री सजीव संसाधनों के संरक्षण संबंधी अभिसमय तथा इसके प्रावधानों पर CAG-EP को परामर्श देना और सहायता प्रदान करना।

ख विधिक पहलुओं के बारे में अंटार्कटिका के लिए भारतीय अभियान संबंधी भारतीय अंटार्कटिक अधिनियम, 2022 (IAA, 2022) और भारतीय अंटार्कटिक पर्यावरण संरक्षण नियम, 2023 (IAEPR, 2023) का कार्यान्वयन।

ग अंटार्कटिका कानून और उसके विभिन्न प्रावधानों के अनुसार परमिट के लिए आवेदनों और यात्रा-पश्चात रिपोर्टों की समीक्षा करना।

घ अंटार्कटिका से संबंधित मामलों पर निर्दिष्ट न्यायालयों के समक्ष केस फाइल करना, पूर्व निर्णय प्रस्तुत करना तथा अनुवर्ती करवाई करना।

मोना
२४/०९/२५.

ङ याचिकाएं, उत्तर, प्रत्युत्तर, शपथपत्र और अन्य अभिवचनों का मसौदा तैयार करना।
च कानूनी मामलों के बारे में विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधिक कार्य विभाग तथा अन्य संबद्ध मंत्रालयों से परामर्श लेना।
छ न्यायिक निर्णयों और आदेशों के कार्यान्वयन की व्यवहार्यता और कार्यप्रणाली का विश्लेषण करना। विधिक पहलुओं से संबंधित सौंपे गए कोई अन्य कार्य।

परामर्शदाताओं की नियुक्ति के लिए निबंधन और शर्तें

नियुक्ति की अवधि:

परामर्शदाता को पूर्णतः संविदा के आधार पर नियुक्त किया जाएगा। परामर्शदाता के रूप में प्रारंभिक नियुक्ति एक वर्ष के लिए होगी, जिसे कार्य निष्पादन की समीक्षा के आधार पर वार्षिक आधार पर बढ़ाया जा सकता है।

परामर्शदाताओं की नियुक्ति पूर्णकालिक आधार पर होगी, तथा उन्हें इस मंत्रालय के साथ परामर्श अवधि के दौरान कोई अन्य कार्यभार स्वीकार करने की अनुमति नहीं होगी।

आयु सीमा:

आवेदन की अंतिम तारीख को आयु 62 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

पारिश्रमिक :

i) सेवानिवृत्त उम्मीदवार के लिए- अंतिम आहरित वेतन से मूल पेंशन की कटौती करके + सेवानिवृत्ति के समय स्वीकार्य परिवहन भत्ता जो कि व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या FNo.3/25/2020-E.III.A दिनांकित 9 दिसंबर, 2020 के अनुसार होगा, परंतु 80,000/- रुपये प्रति माह से अधिक नहीं। उपर्युक्त निर्धारित राशि संविदा अवधि के दौरान अपरिवर्तित रहेगी। संविदा अवधि के दौरान कोई वार्षिक वेतन वृद्धि/प्रतिशत वृद्धि नहीं होगी।
ii) अन्य के लिए ₹ 80,000/- की निश्चित मासिक राशि देय होगी।

उपलब्ध कराई जाने वाली कार्य सुविधाएं:

परामर्शदाता को केवल बुनियादी सुविधाएं / अवसंरचना ही प्रदान की जाएगी। कोई परिवहन, निवास पर टेलीफोन/इंटरनेट सुविधा, आशुलिपिक/लिपिकीय सहायता आदि प्रदान नहीं की जाएगी।

परामर्शदाता के लिए अन्य पात्रता: (व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 3/25/2020-ई.111-ए, दिनांकित 9 दिसंबर, 2020 के अनुसार)

अवकाश: सेवा के प्रत्येक पूर्ण माह के लिए 1.5 दिन का सवेतन अवकाश दिया जाएगा। एक कैलेण्डर वर्ष से अधिक अवकाश संचय की अनुमति नहीं होगी।

मीना
24/09/25

टीए/डीए:

i. सेवानिवृत्त परामर्शदाताओं के लिए: परामर्शदाताओं को आधिकारिक दौरे पर यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता (यदि कोई), सेवानिवृत्ति के समय उनकी पात्रता के अनुसार दिया जाएगा।
ii. अन्य के लिए: नीति आयोग के दिशा-निर्देश A-12036/2/2023-Adm.IB दिनांकित 07.07.2023 में निर्दिष्ट परामर्शदाता ग्रेड-1 के लिए टीए/डीए पात्रता।

परिवहन भत्ता (केवल सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों के लिए): निवास और कार्य स्थल के बीच आवागमन के लिए परिवहन भत्ते के रूप में एक उपयुक्त और निश्चित राशि दी जाएगी, जो सेवानिवृत्ति के समय नियुक्त व्यक्ति को लागू दर से अधिक नहीं होगी। उपर्युक्त निर्धारित राशि, सेवा अवधि के दौरान अपरिवर्तित रहेगी।

कार्य का समय:

परामर्शदाता को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (मुख्यालय) नई दिल्ली के कार्य समय के अनुसार काम करना होगा। हालांकि, काम की अनिवार्यता के आधार पर, समयबद्ध काम पूरा करने के लिए उसे जल्दी आना या देर से बैठना पड़ सकता है या छुट्टियों में कार्यालय में उपस्थित होना पड़ सकता है। अगर काम के लिए देर से बैठना पड़ता है या छुट्टियों में आना पड़ता है तो कोई अतिरिक्त पारिश्रमिक या शुल्क देय नहीं होगा। परामर्शदाता को अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी।

स्रोत पर कर कटौती:

आयकर या किसी अन्य कर की कटौती, जो प्रचलित नियमों के अनुसार कटौती योग्य है, पारिश्रमिक के भुगतान से पहले स्रोत पर काट ली जाएगी।

डेटा और दस्तावेजों की गोपनीयता:

परामर्शदाता पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की लिखित सहमति के बिना कार्यालय के लिए असाइनमेंट के दौरान एकत्र किए गए किसी भी डेटा या सांख्यिकी या कार्यवाही या जानकारी का उपयोग या प्रकाशन या खुलासा या किसी तीसरे पक्ष को नहीं देगा। परामर्शदाता अनुबंध की समाप्ति से पहले और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा अंतिम भुगतान जारी किए जाने से पहले असाइनमेंट के रिकॉर्ड का पूरा सेट कार्यालय को सौंपने के लिए बाध्य होगा। परामर्शदाता इस आशय के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के साथ गोपनीयता के एक समझौते पर हस्ताक्षर करेगा, जिसमें नैतिकता और सत्यनिष्ठा पर एक खंड शामिल होगा।

हितों का टकराव: परामर्शदाता किसी भी मामले में दूसरों का प्रतिनिधित्व नहीं करेगा, मत नहीं देगा या परामर्श नहीं देगा जो मंत्रालय के हित के प्रतिकूल हो, न ही वह संविदात्मक असाइनमेंट की शर्तों के बाहर किसी भी गतिविधि में शामिल होगा।

अनुबंध की समाप्ति: मंत्रालय उस अनुबंध को समाप्त कर सकता है जिस पर ये शर्तें लागू होती हैं, यदि: -

i. परामर्शदाता सौंपे गए कार्य को पूरा करने में असमर्थ है।

मीना 24/09/25

ii. सौंपे गए कार्य की गुणवत्ता मंत्रालय में नियंत्रण अधिकारी/सक्षम प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुरूप नहीं है।

iii. परामर्शदाता में ईमानदारी और निष्ठा की कमी पाई जाती है।

iv. मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी किसी भी समय बिना कोई नोटिस दिए और बिना कोई काम सौंपे भी अनुबंध को समाप्त कर सकता है।

3. पदनाम: परियोजना वैज्ञानिक- III

i) रिक्तियों की संख्या: 01

ii) मासिक वेतन: 78,000/- रुपये + मकान किराया भत्ता + अन्य स्वीकार्य वेतन (पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय/विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार) (कार्य निष्पादन की समीक्षा के अधीन प्रत्येक 2 वर्ष के अनुभव के लिए 5% की वृद्धि)

iii) ऊपरी आयु सीमा: 45 वर्ष तक

शिक्षा और अन्य अर्हताएं

अनिवार्य

पर्यावरण विज्ञान या पर्यावरण प्रबंधन या पर्यावरण रसायन विज्ञान या पर्यावरण इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री या योग्यता डिग्री स्तर पर कम से कम 60% अंकों (प्रथम श्रेणी) के साथ समकक्ष या योग्यता डिग्री स्तर पर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित क्षेत्र में कम से कम 60% अंकों (प्रथम श्रेणी) के साथ इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी में स्नातक डिग्री।

आवश्यक अनुभव

संबंधित क्षेत्र में शिक्षण (स्नातक या स्नातकोत्तर स्तर पर), अनुसंधान और विकास, प्रशासन, योजना और पर्यवेक्षण का सात वर्ष का अनुभव।

वांछनीय:

(i) पर्यावरण या रसायन विज्ञान से संबंधित विज्ञान की किसी शाखा में डॉक्टरेट की डिग्री या समकक्ष;

(ii) पर्यावरण प्रभाव आकलन और निगरानी, योजना और प्रबंधन में अनुभव;

(iii) ध्रुवीय क्षेत्र में काम करने का अनुभव।

कार्य उत्तरदायित्व:

i. अंटार्कटिक संधि, अंटार्कटिक संधि के लिए पर्यावरण संरक्षण पर प्रोटोकॉल और अंटार्कटिक समुद्री सजीव संसाधनों के संरक्षण पर अभिसमय और पर्यावरणीय पहलुओं पर इसके प्रावधानों पर CAG-EP की सहायता करना।

मोना
24/09/25.

ii. पर्यावरणीय पहलुओं के बारे में अंटार्कटिका के लिए भारतीय अभियान के लिए भारतीय अंटार्कटिक अधिनियम, 2022 (IAA, 2022) और भारतीय अंटार्कटिक पर्यावरण संरक्षण नियम, 2023 (IAEPR, 2023) का कार्यान्वयन।

iii. अंटार्कटिक क़ानून और इसके विभिन्न प्रावधानों के अनुसार परमिट के लिए आवेदनों और यात्रा के बाद की रिपोर्टों की समीक्षा करना।

iv. परमिट जारी करने के तहत आवश्यक वार्षिक रिपोर्ट और अन्य दस्तावेज़ों के साथ-साथ प्रबंधन योजना तैयार करना।

v. परमिट से संबंधित दस्तावेज़ों को बनाए रखना।

vi. संबंधित मंत्रालयों से पर्यावरणीय मामलों पर विचार प्राप्त करना।

vii. पर्यावरणीय पहलुओं पर सौंपा गया कोई अन्य कार्य।

परामर्शदाताओं और परियोजना वैज्ञानिक-III के पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया:-

क. संपूर्ण आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन मोड में है। निर्धारित प्रारूप में विधिवत पूर्ण आवेदन अवर सचिव (स्थापना), पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, पृथ्वी भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003 को डाक द्वारा प्रस्तुत किया/भेजा जाना चाहिए।

ख. शैक्षिक योग्यता, जन्म तिथि, अनुभव, अनापत्ति प्रमाण पत्र (वर्तमान नियोक्ता से, यदि कार्यरत हैं) के समर्थन में प्रमाण पत्रों की प्रतियां आवेदन के साथ संलग्न की जानी चाहिए। साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने के समय मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। संबंधित प्रमाण पत्रों की प्रतियों, हस्ताक्षर और पासपोर्ट आकार की फोटो के बिना प्रस्तुत किए गए आवेदन जांच प्रक्रिया में ही रद्द कर दिए जाएंगे। प्रमाण पत्र स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाले और पढ़ने योग्य होने चाहिए।

ग. प्रमाण पत्रों में कोई भी विसंगति पाए जाने पर आवेदन अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने पर भी उम्मीदवार अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। अयोग्य घोषित किए गए उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। वर्तमान में किसी अन्य संगठन में कार्यरत उम्मीदवारों को नियोक्ता से सेवा प्रमाण पत्र/नवीनतम वेतन पर्ची आदि के साथ अपने वर्तमान रोजगार का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। नियुक्ति आदेश/बायोडाटा को वर्तमान रोजगार के प्रमाण के रूप में नहीं माना जाएगा। इसके अलावा, अनुभव प्रमाण पत्रों में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख और त्यागपत्र की तारीख स्पष्ट रूप से दर्शाई जानी चाहिए। यदि जांच समिति उम्मीदवार द्वारा दावा किए गए अनुभव के वर्षों की संख्या के लिए दस्तावेजी साक्ष्य प्राप्त करने में असमर्थ है, तो ऐसे अनुभव की अवधि को शून्य माना जाएगा।

घ. वर्तमान में केंद्र सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों/विश्वविद्यालयों आदि में कार्यरत उम्मीदवारों को साक्षात्कार के समय अपने वर्तमान

मोना 24/09/25

नियोक्ता से अनापत्ति/संवर्ग अनापत्ति प्रस्तुत करना आवश्यक है। वर्तमान नियोक्ता उनकी सतर्कता अनापत्ति और सत्यनिष्ठा को भी प्रमाणित करेगा।

ङ. किसी भी तरह से अपूर्ण आवेदनों को सरसरी तौर पर रद्द कर दिया जाएगा। ऐसी अस्वीकृति के खिलाफ कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

च. किसी भी तरह सिफारिश करना अयोग्यता होगी।

विज्ञापन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की वेबसाइट www.moes.gov.in पर भी उपलब्ध है।

चयन प्रक्रिया:

निर्धारित आवश्यक अर्हताएं न्यूनतम आवश्यकताएं हैं और केवल उन्हीं के होने से उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने का अधिकार नहीं है। यदि विज्ञापन के उत्तर में प्राप्त आवेदनों की संख्या अधिक है, तो सभी उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाना सुविधाजनक या संभव नहीं होगा। इसलिए, मंत्रालय, चयन बोर्ड के समक्ष साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या को जांच प्रक्रिया के माध्यम से उचित सीमा तक सीमित कर सकता है।

आवेदनों की जांच के लिए मानदंड नीचे निर्दिष्ट अनिवार्य आवश्यकताओं की तुलना में उम्मीदवारों की अर्ह योग्यताओं के आधार पर होंगे:

क. जन्म तिथि,

ख. सटीक विवरण प्रदान करने और पासपोर्ट आकार की फोटो तथा अंक सूची, शैक्षणिक और अनुभव प्रमाण पत्र, हस्ताक्षर की प्रतियां जमा करने के मामले में आवेदन की पूर्णता,

ग. आवश्यक अनुभव,

घ. ऊपर निर्दिष्ट वांछनीय योग्यता और अनुभव

ङ. एक या अधिक स्तरों पर लगातार शैक्षणिक प्रदर्शन आदि। उम्मीदवार के अनुभव प्रमाण पत्र में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट होना चाहिए कि उनके पास पद के लिए आवश्यक/वांछनीय अनुभव आवश्यकताओं में मांगे गए अनुभव/ज्ञान/कौशल/प्रौद्योगिकी/सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म हैं या नहीं। आवेदनों की जांच के लिए बेंचमार्क आवेदनों की जांच करने के लिए गठित समिति द्वारा निर्धारित किया जाएगा। जांचे गए उम्मीदवारों का अंतिम चयन, चयन बोर्ड के समक्ष उम्मीदवार के प्रदर्शन के आधार पर होगा। उन उम्मीदवारों के साथ कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा जिन्हें साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया गया है/नियुक्ति के लिए नहीं चुना गया है।

मोना
24/09/25.

अनुलग्नक-I

<u>पर्यावरणीय परामर्शदाता एवं विधिक परामर्शदाता - अंटार्कटिक प्रशासन के पद पर संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदन-पत्र</u>

वह पद जिसके लिए आवेदन कर रहे हैं:

नाम	
माता/पिता/पति का नाम	
जन्म तिथि	
पत्राचार का पता	
स्थायी पता	
फोन नंबर/मोबाइल नंबर	
ईमेल आईडी	
शैक्षिक/पेशेवर योग्यताएं	
अनुभव के विवरण को "परिशिष्ट-I" के रूप में संलग्न प्रपत्र में संलग्न किया गया है।	
सेवानिवृत्ति के समय धारित पद (सेवानिवृत्त अधिकारियों के लिए)	
सेवानिवृत्ति की तिथि एवं कार्यालय का नाम (केवल सेवानिवृत्त अधिकारियों के लिए) जहां अधिकारी ने अंतिम सेवा प्रदान की। पीपीओ की प्रति संलग्न करें।	
विशेष उपलब्धि (यदि कोई), समर्थन दस्तावेजों के साथ।	
कोई अन्य संबद्ध जानकारी (यदि आवश्यक हो तो एक अलग पृष्ठ का प्रयोग करें)	

मीना 24/09/25

परिशिष्ट-I

अनुभव का विवरण

अवधि	कार्यालय / संगठन का नाम	धारित पद तथा पारिश्रमिक (पे बैंड +ग्रेड पे / मैट्रिक्स में लेवल, यदि लागू हो)	निष्पादित कार्यों का विवरण

नाम/हस्ताक्षर: ------------------

उपर्युक्त जानकारी सत्य है। मैंने अनुलग्नक-। में वर्णित निबंधन एवं शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ लिया है, और वे मुझे स्वीकार्य हैं। मैं प्रमाणित करता हूं कि आज की तारीख में मेरे विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई लंबित नहीं है।

तारीख:

आवेदक के हस्ताक्षर

मोना
25/09/25.

अनुलग्नक-II

आवेदन का प्रारूप
(परियोजना वैज्ञानिक III के पद के लिए)

पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाएं

1.	विज्ञापन संख्या			
2.	आवेदन किया गया पद			
3.	पूरा नाम (बड़े अक्षरों में)			
4.	पिता / पति का नाम			
5.	(क) जन्म तिथि	तारीख	माह	वर्ष
	(ख) आवेदन करने की अंतिम तारीख को आयु			
6.	राष्ट्रीयता			
7.	धर्म			
8.	पत्राचार के लिए पता (बड़े अक्षरों में, पिन कोड सहित)			
9.	स्थायी पता (बड़े अक्षरों में)			
10.	शैक्षिक योग्यता (स्नातक से लेकर आगे के क्रम में)			

क्र. सं	उत्तीर्ण किया गया पाठ्यक्रम	विश्वविद्यालय/संस्थान/बोर्ड	उत्तीर्ण करने का वर्ष	लिए गए विषय	डिवीजन / श्रेणी के साथ परिणाम

11. पेशेवर प्रशिक्षण:

संगठन	अवधि		प्रशिक्षण का विवरण
	से	तक	

मोना 24/09/25

12.	अनुसंधान कार्य / अनुभव का विवरण, यदि कोई			
13.	विशेषज्ञता (पद के लिए वांछनीय अनुभव के संदर्भ में)			
14.	कोई अन्य सूचना जिसे आप देना चाहते हों [जैसे कि प्रकाशन की सूची, प्रबुद्ध सोसायटीज की सदस्यता, पुरस्कार तथा सम्मान आदि। (संक्षेप में)]			
15.	वर्तमान रोजगार (अस्थायी/अतिथि/आदि) का संक्षिप्त विवरण, यदि कोई।			

18. घोषणा

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार उपर्युक्त सूचना सही और पूर्ण है तथा किसी भी तथ्य को छिपाया/तोड़ा मरोड़ा नहीं गया है। यदि किसी समय यह पाया जाए कि मैंने किसी तथ्य /सूचना को छिपाया/तोड़ा मरोड़ा है तो मेरी सेवा को बिना किसी सूचना/क्षतिपूर्ति के सार रूप में समाप्त किया जा सकता है।

स्थान:

(अभ्यर्थी का हस्ताक्षर)

तारीख:

सोना
24/09/25.